

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:-प. 2(1)कार्मिक/क-2/अं.प्र./91 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 7 JAN 2020

परिपत्र

समस्त अति० मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव  
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर सहित)।

विषय:-नियमित विभागीय पदोन्नति समिति हेतु वांछित अनुभव में शिथिलन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।


सभी सेवा नियमों में पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में शिथिलन संबंधी प्रावधान समाहित किया हुआ है। किसी भी पद/संवर्ग में नियमित डीपीसी आयोजित करने से पूर्व वांछित अनुभव में शिथिलन हेतु कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक है।

पूर्व में समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11.06.2018 अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा चालू डीपीसी वर्ष की 01 अप्रैल को 50% से अधिक रिक्तियां (जिसमें चालू डीपीसी वर्ष में सेवानिवृत्ति/पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध होने वाली रिक्तियां सम्मिलित नहीं हो) उपलब्ध होने की स्थिति में ही वांछित अनुभव में एक तिहाई अवधि का शिथिलन प्रदान किया जा रहा था। पदोन्नति किये जाने के समय किसी संवर्ग में वर्षभर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों (सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/अन्य कारण) को शामिल करते हुये कुल रिक्तियों की गणना की जाती है। कार्यात्मक आवश्यकता के मध्यनजर किसी संवर्ग में पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलन दिये जाने के उद्देश्य से भी ऐसी रिक्तियों की संख्या को सम्मिलित किया जाना उचित है।

अतः इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुभव में शिथिलन हेतु उन्हीं प्रकरणों को प्रेषित किया जावे जिनमें चालू डीपीसी वर्ष में सेवानिवृत्ति/पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध होने वाली रिक्तियों को सम्मिलित करते हुये 50% या उससे अधिक रिक्तियां उपलब्ध हों एवं अनुभव में एक तिहाई अवधि के शिथिलन उपरान्त निम्न पद पर न्यूनतम एक तिहाई या अधिक कार्मिक कार्यरत रहे।


समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्ति अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुभव में शिथिलन के प्रस्ताव को डीपीसी से सम्बन्धित पत्रावली पर मय सम्बन्धित वर्ष की वरिष्ठता सूची निम्न तालिकानुसार भिजवावे ताकि कार्मिक विभाग द्वारा लोकहित में अनुभव में छूट के प्रकरणों पर विचार किया जा सके :-

पदनाम	कुल स्वीकृत पद	चालू डीपीसी वर्ष की एक अप्रैल को कार्यरत कार्मिकों की संख्या	चालू डीपीसी वर्ष के दौरान उपलब्ध रिक्त पद	चालू डीपीसी वर्ष में अनुभव में छूट के बिना पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की संख्या	चालू डीपीसी वर्ष में एक तिहाई अवधि की छूट पश्चात् सम्भावित पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की संख्या	निम्न पद	
						स्वीकृत कॉर्डर स्ट्रेन्थ	शिथिलन उपरान्त कार्यरत
1	2	3	4	5	6	7	8


  
 (रोली सिंह)  
 प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

  
 (जय सिंह)  
 शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी प्रेषित है।

  
 शासन उप सचिव

1/2020